



भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122020-223586

CG-DL-E-08122020-223586

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3898]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 8, 2020/अग्रहायण 17, 1942

No. 3898]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 8, 2020/AGRAHAYANA 17, 1942

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4438(अ).—भारत गणराज्य और पुर्तगाली गणराज्य के मध्य प्रत्यर्पण करार पर 11 जनवरी, 2007 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ने 25 अक्तूबर, 2007 को करार का अनुसमर्थन किया था। पुर्तगाल ने अपने राजदूतावास के मौखिक टिप्पण संख्यांक 368, तारीख 14 अक्तूबर, 2008 द्वारा प्रत्यर्पण संधि के अनुसमर्थन के लिए अपनी आंतरिक प्रक्रिया पूरी करने की पुष्टि कर दी थी।

और, उक्त किया गया करार, उक्त करार, के अनुच्छेद 18 के पैरा (1) के उपबंधों के अनुसार, 14 नवंबर, 2008 से प्रवृत्त किया गया था;

और, उक्त प्रत्यर्पण करार, इस आदेश की अनुसूची में पूर्ण रूप से उपवर्णित है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के साथ पठित उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि अध्याय-3 के उपबंधों से भिन्न उक्त अधिनियम के उपबंध, पुर्तगाली गणराज्य को, उक्त प्रत्यर्पण करार के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

भारत गणराज्य

और

पुर्तगाल गणराज्य

के बीच

(1)

प्रत्यर्पण करार

भारत गणराज्य और पुर्तगाल गणराज्य जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'संविदाकारी राज्य' कहा गया है;

अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण के लिए प्रावधान करके अपराध की रोकथाम और उसके दमन में दोनों देशों के सहयोग में वृद्धि करने की इच्छा से;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद—एक

प्रत्यर्पण के प्रति दायित्व

दोनों संविदाकारी राज्य, दूसरे राज्य के प्रदेश में पाए गए, अभियोजन के लिए वांछित किसी अभियुक्त अथवा किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए दंड अधिरोपित करने अथवा लागू करने के लिए वांछित किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को अपने कानून और इस करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन एक-दूसरे को प्रत्यर्पित करने पर सहमत हैं।

अनुच्छेद-दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

1. प्रत्यर्पण उन अपराधों के मामले में किया जाएगा जो कैद द्वारा अथवा स्वतंत्रता के वंचन के अन्य उपाय द्वारा दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत कम से कम एक वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए दंडनीय हैं। यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी ऐसे अपराध के दोषसिद्ध व्यक्ति के संबंध में किया गया है, जिसके लिए वह कैद के दंड अथवा स्वतंत्रता के वंचन के अन्य तरीके को लागू किए जाने के लिए वांछित है, तो प्रत्यर्पण केवल तभी किया जाएगा जब कैद अथवा स्वतंत्रता वंचन के अन्य तरीके की अवधि के पूरा होने में कम से कम छह माह शेष हों।

2. इस अनुच्छेद के उद्देश्य से यह निर्धारित करने में क्या कोई अपराध दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून के विरुद्ध अपराध है:

(क) इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून अपराध के घटक कृत्यों अथवा चूकों को अपराध की समान श्रेणी में रखते हैं अथवा उन्हें उसी शब्दावली द्वारा अभिहित करते हैं या नहीं।

(ख) जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उस व्यक्ति के विरुद्ध कथित कृत्यों अथवा चूकों की समग्रता को ध्यान में रखा जाएगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अपराध के संघटक तत्व संविदाकारी राज्यों के कानूनों के अंतर्गत भिन्न-भिन्न हैं।

3. यदि अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश के बाहर किया गया हो, तो इस करार के प्रावधानों के अधीन प्रत्यर्पण किया जाएगा:

(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधकर्ता राज्य का राष्ट्रिक है; अथवा

(ख) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य का कानून समान परिस्थितियों में अपने प्रदेश के बाहर किए गए अपराध के दंड के लिए प्रावधान करता है।

4. शुल्कों, कराधान, सीमा शुल्कों और मुद्रा सहित वित्तीय प्रकृति के अपराधों के लिए इस करार के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यर्पण किया जाएगा।

5. यदि प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध में ऐसे कई अलग-अलग अपराध शामिल हैं, जो दोनों संविदाकारी राज्यों के कानून के अंतर्गत दंडनीय हैं, परंतु जिनमें से कुछ इस अनुच्छेद के पैरा 1 में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य बाद के अपराधों के लिए प्रत्यर्पण करेगा बशर्ते कि व्यक्ति को कम से कम एक प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए प्रत्यर्पित किया जाना है।

अनुच्छेद-तीनराष्ट्रिक

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को अपने राष्ट्रिक को प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर देने का अधिकार होगा।
2. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इस आधार पर इन्कार करता है कि वह व्यक्ति अनुरोध प्राप्तकर्ता राज्य का राष्ट्रिक है, तो यदि अनुरोधकर्ता राज्य वैसा अनुरोध करता है और अनुरोधप्राप्तकर्ता के कानून वैसी अनुमति देते हैं तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य सक्षम प्राधिकारियों को मामला प्रस्तुत करेगा ताकि उस व्यक्ति के उन सभी अथवा किन्ही अपराधों, जिनके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है के अभियोजन के लिए कार्यवाहियां चलाई जा सकें।

अनुच्छेद-चारप्रत्यर्पण से इन्कार करने के आधार

1. प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा यदि:

(क) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य समझता है कि अनुरोध को क्रियान्वित करना उसके संवैधानिक सिद्धांतों और घरेलू कानूनों के खिलाफ है।

(ख) यह मानने के ठोस आधार हों कि दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य में लागू अंतरराष्ट्रीय और आंतरिक कानूनों के विरुद्ध भेदभाव के आधार पर किसी व्यक्ति को अभियोजित करने अथवा उसे दंडित करने के उद्देश्य से किसी सामान्य दांडिक अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

(ग) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, वह राजनैतिक प्रकृति का है। इस करार के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक अपराध नहीं समझा जाएगा:

- (i) जातिसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध और 1949 के जेनेवा अभिसयम के अंतर्गत गंभीर अपराध;
- (ii) वे अपराध, जिन्हें उन अंतरराष्ट्रीय संधियों, अभिसयमों अथवा करारों, जिनका दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी पक्ष पक्षकार है, के अंतर्गत राजनैतिक अपराध नहीं समझा जाता है;
- (iii) हत्या, आपराधिक मानव वध;
- (iv) किसी खतरनाक हथियार अथवा साधन द्वारा स्वेच्छया उपहति अथवा घोर उपहति कारित करना।
- (v) जीवन को खतरे में डालने की मंशा से कोई आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारूद रखना;
- (vi) गिरफ्तारी अथवा बंदीकरण का प्रतिरोध करने अथवा उसे रोकने की मंशा से किसी आग्नेयास्त्र का प्रयोग;
- (vii) जीवन को खतरे में डालने की मंशा से, सार्वजनिक उपयोग अथवा अन्यथा प्रयोग की जाने वाली संपत्ति को हानि अथवा क्षति पहुंचाना;
- (viii) अवैध अवरोध अथवा अवैध कैद;
- (ix) अपहरण और अगवा करना तथा बंधक बनाना;
- (x) आतंकवाद और आतंकवादी कृत्यों से संबंधित अपराध;
- (xi) उपर्युक्त किन्ही अपराधों के करने में सह अपराधी के रूप में भागीदारी करते हुए दुष्प्रेरित करना, करने का षडयंत्र करना या प्रयत्न करना, भड़काना।

(घ) वह अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, सैन्य कानून के अंतर्गत अपराध है, जो संविदाकारी राज्यों के सामान्य दांडिक कानून के अंतर्गत अपराध नहीं है।

(ड.) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है उसके संबंध में अंतिम निर्णय अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में अथवा किसी तीसरे राज्य में दिया जाएगा; और

(i) निर्णय में व्यक्ति को दोषमुक्त कर दिया गया;

(ii) कैद की अवधि जो व्यक्ति को सुनाई गई, पूरी तरह लागू की गई, अथवा पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से लागू नहीं की गई, क्षमा अथवा दया प्रदान की गई; अथवा

(iii) न्यायालय ने दंड लगाए बिना व्यक्ति को छोड़ दिया;

(च) व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, को अपराध के संबंध में दया प्रदान की गई है जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अथवा दोनों में से किसी भी संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार समय समाप्त हो जाने अथवा अन्य किसी कारण से अभियोजन अथवा दंड से उन्मुक्त हो गया है।

(छ) मांगे गए प्रत्यर्पण पर किसी अनन्य अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में अथवा उस व्यक्ति के मामले पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष रूप से स्थापित न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। अथवा ऐसे किसी न्यायालय द्वारा दी गई सजा को लागू करना हो। इस करार के प्रयोजनों के लिए 'विशेष अधिकारिता न्यायालय' को ऐसे विशेष न्यायालय के रूप में संदर्भित नहीं किया जाएगा, जिसे दोनों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य के आंतरिक कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा गठित किया गया है।

2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को प्रत्यर्पण से इंकार करने का अधिकार होगा यदि:

(क) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारियों ने उस व्यक्ति, जिसका प्रत्यर्पण करने का अनुरोध किया गया है, पर उस अपराध के लिए मुकदमा न चलाने का निर्णय लिया हो, जिस अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है;

(ख) अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अंतर्गत उस राज्य के भीतर पूर्णतः अथवा अंशतः किया गया माना गया है। तथापि, इस संधि के अनुसार प्रत्यर्पण किया जाएगा, बावजूद इसके कि वांछित व्यक्ति का आचरण पूर्णतः अथवा अंशतः अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में घटित हुआ है, यदि उस राज्य के कानून के अंतर्गत, उसका आचरण और इसके प्रभाव, अथवा इसके आशयित प्रभाव, समग्र रूप में, अनुरोधकर्ता राज्य के प्रदेश में किया गया प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा।

(ग) अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उस व्यक्ति के विरुद्ध कोई अभियोजन लंबित है, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है।

(घ) अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है के लिए वांछित व्यक्ति पर उसकी अनुपस्थिति में दोष सिद्ध किया गया हो, जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य ऐसा आश्वासन न दे, जिसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा इस बात के लिए पर्याप्त समझा जाए, कि वांछित व्यक्ति को समर्पण के बाद दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने अथवा पुनः विचारण के लिए अनुरोध करने का अधिकार होगा;

(ङ) अनुरोधप्राप्तकर्ता, अपराध के स्वरूप और अनुरोधकर्ता राज्य के हितों को ध्यान में रखते हुए, यह विचार करता है कि मामले की परिस्थितियों में आयु, स्वास्थ्य अथवा वैयक्तिक स्वरूप के अन्य कारणों, जिनका मामला दर मामला आधार पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा विक्षेपण किया जाना है, की दृष्टि से मानवीयता के आधार पर उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण करना उचित नहीं होगा। यदि फिर भी प्रत्यर्पण इस शर्त के अंतर्गत अस्वीकार किया जाता है तो अभियुक्त पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में उसके घरेलू कानूनों के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा।

अनुच्छेद - पांच**विशेषता का नियम**

1. इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अध्याधीन, इस करार के अंतर्गत प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को प्रत्यर्पण से पूर्व किए गए किसी अपराध के लिए अनुरोधकर्ता राज्य में बंदी बना कर नहीं रखा जाएगा अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाएगा, अथवा उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, सिवाय इसके कि:

(क) ऐसा अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण प्रदान किया गया हो, अथवा

(ख) कोई अन्य प्रत्यर्पणीय अपराध जिसके संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपनी सहमति प्रदान करे।

2. इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुरोधप्राप्तकर्ता, राज्य की सहमति के अनुरोध के साथ अनुच्छेद आठ के पैरा चार में उल्लिखित दस्तावेज होंगे।

3. इस अनुच्छेद का पैरा एक लागू नहीं होगा, यदि किसी व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य छोड़ने का अवसर मिलता है और वह उस अपराध के संबंध में अंतिम रूप से रिहा किए जाने के 45 दिनों के भीतर ऐसा नहीं करता है जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण किया गया हो अथवा यदि वह व्यक्ति अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने के पश्चात उसमें लौट आता है।

4. यदि अनुरोधकर्ता राज्य में लगाए गए आरोपों का विवरण कार्यवाहियों के दौरान परिवर्तित होता है तो नए विवरण के अंतर्गत आने वाले अपराध के संदर्भ में प्रत्यर्पित व्यक्ति के विरुद्ध तभी कार्यवाही की जाएगी अथवा उसे दण्ड दिया जाएगा यदि वह ऐसा अपराध हो जिसके लिए इस करार के अनुसरण में प्रत्यर्पण प्रदान किया जा सकता हो।

अनुच्छेद - छह

1. यदि किसी व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा अनुरोधकर्ता राज्य को सौंप दिया गया हो तो अनुरोधकर्ता राज्य उस व्यक्ति को किसी तीसरे राज्य को ऐसे अपराध के लिए नहीं सौंपेगा जो उस व्यक्ति को सौंपे जाने से पूर्व किया गया हो, जब तक कि :

(क) अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उस पुनःप्रत्यर्पण के लिए सहमति प्रदान न करे, अथवा

(ख) उस व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने का अवसर प्राप्त हुआ हो और उसने उस अपराध के संबंध में अंतिम रिहाई के 45 दिनों के भीतर ऐसा नहीं किया हो जिस अपराध के लिए उस व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा सौंपा गया हो अथवा वह अनुरोधकर्ता राज्य को छोड़ने के पश्चात उसमें लौट आया हो।

2. इस अनुच्छेद के उप- पैरा 1 (क) के अनुसरण में किसी सहमति के संबंध में अनुरोधकर्ता राज्य, अनुच्छेद आठ में उल्लिखित दस्तावेजों तथा पुनः प्रत्यर्पण के संबंध में प्रत्यर्पित व्यक्ति द्वारा की गई किसी भी घोषणा को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

अनुच्छेद - सात**समवर्ती अनुरोध**

यदि किसी संविदाकारी राज्य और एक अथवा एक से अधिक अन्य राज्यों द्वारा प्रत्यर्पण का अनुरोध समवर्ती रूप से किया जाता है, चाहे वह उसी अथवा भिन्न कृत्य अथवा चूकों के लिए हो, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य परिस्थितियों और विशेषकर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य पर बाध्यकारी अन्य संधियों अथवा करारों की मौजूदगी, अपराधों की तुलनात्मक गंभीरता, और उन्हें कहाँ अंजाम दिया गया, अनुरोधों को किए जाने की तारीखों, व्यक्ति की राष्ट्रीयता और परवर्ती पुनः प्रत्यर्पण की संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित करेगा कि उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण उनमें से किस राज्य को किया जाएगा।

अनुच्छेद - आठ**प्रत्यर्पण प्रक्रिया**

1. प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध लिखित में किया जाएगा और उसे राजनयिक चैनलों के माध्यम से संप्रेषित किया जाएगा।

2. प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत सभी दस्तावेज अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

3. इस करार के प्रयोजनार्थ कोई दस्तावेज अधिप्रमाणित किया जाएगा यदि;

(क) उस पर अनुरोधकर्ता राज्य में अथवा अनुरोधकर्ता राज्य के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित हो; और

(ख) उस पर अनुरोधकर्ता राज्य के संबंधित मंत्रालय अथवा सक्षम प्राधिकारी की आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मुहर लगी होना तात्पर्यित हो।

4. प्रत्यर्पण अनुरोध निम्नलिखित के साथ किया जाएगा:

(क) यदि व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो-उस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारण्ट की मूल और दो प्रमाणित प्रतियां, प्रत्येक अपराध का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, और प्रत्येक अपराध के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए कृत्यों अथवा चूकों का विवरण और ऐसे दस्तावेज और सूचना जिनसे अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अनुसार उस पर मुकदमा चलाने को उचित ठहराया जा सके यदि अपराध अनुरोधप्राप्तकर्ता के प्रदेश में किया गया हो;

(ख) यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए उसकी अनुपस्थिति में दोषसिद्ध किया गया हो तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी को प्राधिकृत करने वाले न्यायिक अथवा अन्य दस्तावेज अथवा उनकी प्रति, उस प्रत्येक अपराध का विवरण जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो, प्रत्येक अपराध के संबंध में उस व्यक्ति द्वारा कथित रूप से किए गए कृत्यों अथवा चूकों का विवरण और उस संगत कानून का विवरण जो निर्णय के विरुद्ध अपील करने अथवा पुनः विचारण के अनुरोध के अधिकार को सुनिश्चित करता हो;

(ग) यदि उस व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जो उसकी अनुपस्थिति में लगाए गए अभियोग से भिन्न हो दोषसिद्धि और दिए गए दण्ड का साक्ष्य बनाने वाले दस्तावेज, यह तथ्य कि दण्ड तत्काल प्रवर्तनीय है और यह उल्लेख कि दण्ड किस सीमा तक निष्पादित नहीं किया गया है;

(घ) यदि उस व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया हो जो उसकी अनुपस्थिति में लगाए गए अभियोग से भिन्न हो किन्तु कोई दण्ड नहीं दिया गया हो - दोषसिद्धि का साक्ष्य बनने वाले दस्तावेज और इस बात की पुष्टि करने वाला वक्तव्य कि इसका आशय दण्ड अधिरोपित करना है,

(ङ) सभी मामलों में - कार्यवाहियों की सीमा से संबंधित किसी प्रावधान सहित अपराध का उल्लेख करने वाले संगत कानून का विवरण और उस दण्ड का विवरण जिसे उस अपराध के लिए अधिरोपित किया जा सकता हो;

(च) सभी मामलों में-अपेक्षित व्यक्ति का जहां तक संभव हो, सटीक विवरण, साथ ही उसकी पहचान और राष्ट्रियता निर्धारित करने में सहायक कोई अन्य सूचना, और

(छ) यदि लागू हों-उन कारणों को इंगित करने वाला विवरण जो उस अपराध के संबंध में समयावधि बीत जाने के कारण अभियोजन अथवा दण्ड से उन्मुक्ति प्राप्त करने से उस व्यक्ति को रोकते हों; जिनके आधार पर अनुरोधकर्ता राज्य के कानून के अनुसार प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो,

(ज) तीसरे राज्य में किए अपराध के मामले में एक वक्तव्य जिसमें यह दर्शाया गया हो कि तीसरा राज्य उस अपराध के लिए वांछित पर अपना दावा नहीं रखता है;

(झ) अनुपस्थिति में दोषसिद्धि के मामलों में यह सूचना कि वांछित व्यक्ति दोषसिद्धि के विरुद्ध अथवा पुनः विचारण के लिए अपील कर सकता है;

(ञ) यह आश्वासन कि वांछित व्यक्ति को इस करार के अनुच्छेद 5 और 6 द्वारा प्रदत्त संरक्षण प्रदान किया जाएगा।

अनुच्छेद -नौ**अनुपूरक सूचना**

1. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य यह मानता हो कि किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध समर्थन में प्रस्तुत सूचना पर्याप्त नहीं है तो इस करार के अनुसार राज्य स्वयं विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अतिरिक्त सूचना का अनुरोध कर सकता है।
2. यदि प्रत्यर्पण के संबंध में गिरफ्तार कोई व्यक्ति इस अनुच्छेद के पैरा 1 के अनुसरण में मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में अनुरोधकर्ता राज्य के असमर्थ होने के फलस्वरूप अभिरक्षा से मुक्त होता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को यथाशीघ्र इसकी सूचना प्रदान करेगा।

अनुच्छेद - दस**अनंतिम गिरफ्तारी**

1. अत्यावश्यकता के मामले में संविदाकारी राज्य, अंतरराष्ट्रीय दाण्डिक पुलिस संगठन (इण्टरपोल) की सुविधाओं के माध्यम से अथवा अन्यथा रूप में वांछित व्यक्ति की अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध के प्रस्तुतिकरण को लंबित रखते हुए आवेदन कर सकता है।
2. इस आवेदन को डाक अथवा टेलीग्राफ अथवा लिखित रूप में दर्ज किए जा सकने वाले किसी भी माध्यम से भेजा जा सकता है।
3. अनन्तिम गिरफ्तारी हेतु अनुरोधों में बंदी बनाने के आदेश अथवा वांछित व्यक्ति के विरुद्ध दण्डादेश की मौजूदगी इंगित की जाएगी, उन तथ्यों को संक्षेप में दर्शाया जाएगा जिनसे अपराध प्रकट होता हो, अपराध कब और कहाँ हुआ इसका तथा लागू होने वाले विधिक उपबंधों का उल्लेख होगा तथा उस व्यक्ति की पहचान, राष्ट्रियता और पता - ठिकाने से संबंधित उपलब्ध सूचना दी जाएगी।
4. अनन्तिम गिरफ्तारी के लिए आवेदन प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा और अनुरोधकर्ता राज्य को उसके आवेदन के परिणामों से तत्काल अधिसूचित किया जाएगा।
5. अनन्तिम गिरफ्तारी समाप्त कर दी जाएगी यदि प्रत्यर्पण का अनुरोध गिरफ्तारी के 18 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता है , उस अवधि को यद्यपि गिरफ्तारी के 40 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है यदि अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा प्रस्तुत कारणों से उसे उचित ठहराया गया हो।
6. उपर्युक्त पैरा 5 के उपबंध पुनः गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे यदि कोई अनुरोध बाद में प्राप्त होता है।

अनुच्छेद - ग्यारह**अभ्यर्पण**

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध पर जैसे ही निर्णय लेगा, उस निर्णय को अनुरोधकर्ता राज्य को सूचित करेगा। किसी अनुरोध को, पूर्णतः अथवा आंशिक न मानने के कारण देने होंगे।
2. जब प्रत्यर्पण स्वीकृत हो जाता है, उस व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य से उस राज्य में संविदाकारी राज्यों के लिए सुविधाजनक प्रस्थान स्थल से हटा दिया जाएगा।
3. अनुरोधकर्ता राज्य, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य द्वारा निर्दिष्ट ऐसी उचित अवधि के भीतर उस व्यक्ति को अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य से हटा लेगा और यदि उस व्यक्ति को इस अवधि के भीतर हटाया नहीं जाता है तो व्यक्ति को रिहा कर दिया जाएगा और अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य उसी अपराध के लिए उस व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर सकता है।
4. यदि संविदाकारी राज्य को उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को अभ्यर्पित करना अथवा वहां से हटाना सम्भव न हो तो वह दूसरे संविदाकारी राज्य को अधिसूचित करेगा। दोनों

संविदाकारी राज्य अभ्यर्पण की एक नई तारीख परस्पर सहमति से निश्चित करेंगे, और इस पर अनुच्छेद के पैरा तीन के प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद - बारह

आस्थगन और अस्थायी अभ्यर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य किसी व्यक्ति के अभ्यर्पण को आस्थगित कर सकता है ताकि उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी कृत्य अथवा चूक से इतर किए गए ऐसे अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सके, अथवा वह व्यक्ति सजा काट सके, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है। ऐसे मामलों में अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अनुरोधकर्ता राज्य को तदनुरूप परामर्श देगा।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अपने कानून द्वारा अनुमत्य सीमा तक संविदाकारी राज्यों के बीच परस्पर करार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुरोधकर्ता राज्य को वांछित व्यक्ति अस्थायी रूप से अभ्यर्पित करेगा।

अनुच्छेद - तेरह

सम्पत्ति का समर्पण

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून के अन्तर्गत अनुमत्य सीमा तक और तीसरे पक्षकार के अधिकारों के अध्यक्षीन जिसे विधिवत स्वीकार किया जाएगा, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में पाई गई सभी संपत्तियों, जो अपराध के परिणामस्वरूप अर्जित की गई हों अथवा वह साक्ष्य के रूप में अपेक्षित हो, प्रत्यर्पण प्रदान किए जाने पर उस स्थिति में अभ्यर्पित कर दी जाएंगी, यदि अनुरोधकर्ता राज्य ऐसा अनुरोध करे।
2. यदि अनुरोधकर्ता राज्य ऐसा अनुरोध करता है तो उक्त सम्पत्ति अनुरोधकर्ता राज्य को अभ्यर्पित की जा सकती है चाहे सहमत प्रत्यर्पण को कार्यान्वित न किया जा सकता हो।
3. यदि उक्त सम्पत्ति अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य में जल अथवा अभिग्रहण करने योग्य हो तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, लम्बित आपराधिक कार्यवाहियों के चलने तक इसे अस्थायी तौर पर रख सकता है अथवा इस शर्त पर सौंप सकता है कि इसे लौटाना होगा।
4. यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के कानून अथवा तीसरे पक्षकार के अधिकार के संरक्षण से ऐसा अपेक्षित हो तो इस प्रकार से अभ्यर्पित कोई सम्पत्ति, कार्यवाहियों के पूरा होने पर बिना किसी शुल्क के अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य को उस स्थिति में लौटाई जाएगी, यदि वह ऐसा अनुरोध करे।

अनुच्छेद - चौदह

पारगमन

1. यदि किसी व्यक्ति को अन्य संविदाकारी राज्य के प्रदेश से होकर तीसरे राज्य से संविदाकारी राज्य को प्रत्यर्पित किया जाना है तो वह संविदाकारी राज्य, जहां पर व्यक्ति को प्रत्यर्पित किया जाना है, दूसरे संविदाकारी राज्य से उस व्यक्ति को अपने प्रदेश से पारगमन करने की अनुमति देने का अनुरोध करेगा।
2. ऐसा अनुरोध प्राप्त होने पर अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी राज्य, अनुरोध प्रदान करेगा जब तक कि वह इससे संतुष्ट न हो जाए कि इससे इन्कार करने के उचित आधार हैं, बशर्ते कि किसी भी दशा में किसी व्यक्ति के पारगमन को ऐसे किसी आधार पर इन्कार किया जा सकता है, जिस पर इस करार के अन्तर्गत उस व्यक्ति को प्रत्यर्पण के लिए मना किया जा सकता है।
3. किसी व्यक्ति के पारगमन की अनुमति में, अनुरोधप्राप्तकर्ता संविदाकारी राज्य के कानून के अध्यक्षीन, पारगमन के दौरान व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के लिए अनुमति भी शामिल होगी।
4. यदि किसी व्यक्ति को इस अनुच्छेद के पैरा 3 के अनुसरण में अभिरक्षा में रखा जा रहा हो तो संविदाकारी राज्य, जिसके प्रदेश में उस व्यक्ति को रखा जा रहा है, यह निदेश दे सकता है कि यदि उस व्यक्ति का परिवहन उचित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को रिहा कर दिया जाए।

5. संविदाकारी राज्य, जिसे वह व्यक्ति प्रत्यर्पित किया जा रहा है, दूसरे संविदाकारी राज्य को पारगमन के सिलसिले में हुए किसी व्यय की अदायगी करेगा।

अनुच्छेद - पन्द्रह

व्यय

1. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोध से उत्पन्न किन्हीं कार्यवाहियों के लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा और इस संबंध में हुए व्यय का वहन करेगा।
2. अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य, उस व्यक्ति, जिसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है के अपने प्रदेश में गिरफ्तारी और नजरबन्द किए जाने पर किए गए व्यय का वहन करेगा, जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा नामित व्यक्ति को यह व्यक्ति अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता।
3. अनुरोधकर्ता राज्य, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य के प्रदेश से उस व्यक्ति के ले जाने पर किए गए व्यय का वहन करेगा।

अनुच्छेद - सोलह

भाषा

कोई संविदाकारी राज्य, जो इस करार के अनुसार दूसरे संविदाकारी राज्य को दस्तावेज ऐसी भाषा में भेजता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की भाषा नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य की भाषा में दस्तावेज का अनुवाद उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद - सत्रह

अन्तरराष्ट्रीय दायित्व

वर्तमान करार, संविदाकारी राज्यों पर अन्तरराष्ट्रीय अभिसमयों, जिनके वे पक्षकार है, उनके अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुच्छेद - अठारह

प्रवृत्त होना और समाप्त होना

1. यह करार, इसके प्रवृत्त होने के लिए अपनी-अपनी आन्तरिक विधि अथवा संवैधानिक अपेक्षाओं के पूरा कर लिए जाने की सूचना देते हुए संविदाकारी राज्यों के बीच राजनयिक माध्यमों से अन्तिम सूचना की तारीख के तीस दिनों के भीतर लागू होगा।
2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य, दूसरे राज्य को राजनयिक माध्यमों से किसी भी समय लिखित में इसके समाप्त करने की सूचना दे सकता है, और यदि ऐसी सूचना दी जाती है तो यह करार उस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात् छह माह में निष्प्रभावी हो जाएगा।
3. इस करार के प्रावधान, इसके प्रवृत्त होने के पश्चात् प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोधों के लिए लागू होंगे, चाहे यह तथ्य किसी भी तारीख को सामने आए हों।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस करार को सम्पन्न किया।

आज नई दिल्ली में वर्ष 2007 (वर्ष दो हजार सात के) के जनवरी माह के ग्यारहवें दिन हिंदी, पुर्तगाली और अंग्रेजी भाषाओं में संपन्न सभी पाठ समान रूप से प्रामाणित हैं, तथापि भिन्नता की दशा में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की
ओर से

पुर्तगाल गणराज्य की
ओर से

[सा. - टी-413/09/2003]

देवेश उत्तम, संयुक्त सचिव (सीपीवी प्रभाग)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 8th December, 2020

S.O. 4438(E).—WHEREAS, the Agreement on Extradition between the Republic of India and the Portuguese Republic was signed at New Delhi on 11th day of January, 2007. India ratified the Agreement on 25th October 2007. Portugal confirmed completion of their internal procedure for ratification of the Extradition Treaty, *vide* their Embassy's Note verbale number 368 dated 14th October 2008.

AND WHEREAS, the said Agreement entered into force with effect from the 14th day of November, 2008 in accordance with the provisions of paragraph (1) of Article 18 of the said Agreement;

AND WHEREAS, the said Agreement on Extradition is set out in full in the Schedule to this Order;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (a) of sub-section (3) of section 3 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than the provisions of Chapter III, shall apply to the Portuguese Republic with effect from the date of entry into force of the said Agreement on Extradition.

SCHEDULE

AGREEMENT ON EXTRADITION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA AND THE PORTUGUESE REPUBLIC

The Republic of India and the Portuguese Republic hereinafter referred to as Contracting States;

Desiring to improve the co-operation of the two countries in the prevention and suppression of crime, by making provisions for the reciprocal extradition of offenders;

Have agreed as follows:

Article 1

Obligation to Extradite

The Contracting States agree to extradite to each other, subject to their laws and to the conditions specified in this Agreement, any accused person wanted for prosecution or any convicted person wanted for the imposition or enforcement of a sentence for an extraditable offence, found in the territory of the other State.

Article 2

Extraditable Offences

1. Extradition shall be granted in respect of offence that are punishable under the laws of both Contracting States by imprisonment or other measure of deprivation of liberty for a maximum period of at least one year. Where the request for extradition relates to a person convicted of such an offence who is wanted for the enforcement of a sentence of imprisonment or other measure of deprivation of liberty, extradition shall be granted only if a period of at least six months imprisonment or other measure of deprivation of liberty remains to be served.

2. For the purposes of this Article, in determining whether an offence is an offence against the law of both Contracting States:

- a) It shall not matter whether the laws of the Contracting States place the acts or omissions constituting within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology;
- b) The totality of the acts or omissions alleged against the person whose extradition is requested shall be taken into account and it shall not matter whether, under the laws of the Contracting States, the constituent elements of the differ.

3. Where the offence for which extradition is requested has been committed outside the territory of the requesting State, extradition shall be granted subject to the provisions of this Agreement:

- a) if the person whose extradition is requested is a national of the requesting States; or

b) if the law of the requested State provides for the punishment of an offence committed outside its territory in similar circumstances.

4. Extradition shall be granted in accordance with the provisions of this Agreement for offences of a fiscal character including duties, taxation, customs and exchange.

5. If the request for extradition includes several separate offences, which are punishable under the laws of both Contracting States, but some of which do not fulfil the other conditions set out in paragraph 1 of this Article, the requested State may grant extradition for the latter offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

Article 3

Nationals

1. The requested State shall have the right to refuse to extradite its nationals.

2. Where the requested State refuses to extradite a person on the ground that the person is a national of the requested State, shall, if the requesting State so requests and the law of the requested State allow, submit the case to the competent authorities in order that proceedings for the prosecution of the person in respect of all or any of the offences for which extradition has been requested, may be taken.

Article 4

Ground for refusal to extradite

1. Extradition shall not be granted if:

- a) The requested State considers that the execution of the request is contrary to its Constitutional principles and domestic laws;
- b) There are substantial grounds for believing that a request for extradition for an ordinary criminal offence has been made for the purposes of prosecuting or punishing a person on discriminatory grounds contrary to the international and internal laws in force in each Contracting State.
- c) The offence for which extradition is requested is an offence of a political nature. For the purposes of this Agreement, the following offences shall not be considered as political offences:
 - (i) Genocide crimes against humanity, war crimes and serious offences under the 1949 Geneva Conventions;
 - (ii) Offences that ought not be regarded as political under the international treaties, conventions or Agreements to which each Contracting State is a party;
 - (iii) Murder, culpable homicide;
 - (iv) Voluntarily causing hurt or grievous hurt by a dangerous weapon or means;
 - (v) Possession of a fire-arm or ammunition with intention to endanger life;
 - (vi) The use of a fire-arm with intention to resist or prevent the arrest or detention;
 - (vii) Causing of loss or damage to property used for public utilities or otherwise with intention to endanger life;
 - (viii) Wrongful restraint and wrongful confinement;
 - (ix) Kidnapping and abduction including taking of hostages;
 - (x) Offences related to terrorism and terrorist acts; and
 - (xi) Abetting, conspiring or attempting to commit, inciting, participating as an accomplice in the commission of any of the above offences.
- d) The offence for which extradition is requested is an offence under military law, which is not an offence under the ordinary criminal law of the Contracting States;
- e) Final judgement has been rendered in the requested State or in a third State in respect of the offence for which the extradition is requested; and
 - i) The judgement resulted in the person's acquittal;
 - ii) The term of imprisonment to which the person was sentenced has been completely enforced, or is wholly or, with respect to the part not enforced, a pardon or an amnesty has been granted; or
 - iii) The court convicted the person without imposing a penalty;
- f) The person whose extradition is requested has been granted amnesty in respect of the offence for which extradition is requested, or has, according to the law of either Contracting State, become immune from prosecution or punishment by reason of lapse of time, or for any other reason;

- g) The extradition sought might lead to a trial by a court of exceptional jurisdiction or that has been specially established for the purpose of trying that person's case or where it concerns the enforcement of a sentence passed by such a court. For the purposes of this Agreement, the expression "court of exceptional jurisdiction" shall not be interpreted as referring to a special court which is set up by the regular procedure established by the internal law of each Contracting States.
2. The requested State shall have the right to refuse extradition if:
- a) The competent authorities of the requested State have decided to refrain from prosecuting the person whose extradition is requested for the offence in respect of which extradition is requested;
 - b) The offence for which extradition is requested is regarded under the law of the requested State as having been committed in whole or part within that State. However, extradition may be granted in accordance with this treaty notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or partly in the requested State, if under the laws of that State, his conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extraditable offence in the territory of the requesting State;
 - c) A prosecution in respect of the offence for which extradition is requested is pending in the requested State against the person whose extradition is requested;
 - d) The person sought has been convicted in that person's absence of the offence for which extradition is requested, unless the requesting State provides an assurance, which is considered by the requested State to be sufficient, that the person sought shall, upon surrender, have a right to appeal against the conviction or to seek re-trial;
 - e) The requested State, while also taking into account the nature of the offence and the interests of the requesting State, considers that, in the circumstances of the case, the extradition of that person would be incompatible with humanitarian considerations in view of age, health or other reasons of a personal nature to be analysed by the requested State on a case to case basis. If, however the extradition is refused under this clause, the accused shall be prosecuted by the requested State in accordance with its domestic laws.

Article 5

Rule of Specialty

1. Subject to paragraph 3 of this Article, a person extradited under this Agreement shall not be detained or tried, or be subjected to any other restriction of personal liberty, in the requesting State for any offence committed before the extradition other than:
 - a) An offence for which extradition was granted; or
 - b) Any other extraditable offence in respect of which the requested State consents.
2. A request for the consent of the requested State under this Article shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 4 of Article 8.
3. Paragraph 1 of this Article does not apply if the person has had an opportunity to leave the requesting State and has not done so within 45 days of final discharge in respect of the offence for which that person was extradited or if the person has returned to the requesting State after leaving it.
4. If the description of the offence charged in the requesting State is altered in the course of proceedings, the person extradited shall be proceeded against or sentenced only in so far as the offence under its new description is an offence for which extradition could be granted pursuant to this Agreement.

Article 6

Re-extradition to a Third State

1. Where a person has been surrendered to the requesting State by the requested State, the requesting State shall not extradite that person to any third State for an offence committed before that person's surrender unless:
 - a) The requested State consents to that re-extradition; or
 - b) The person has had an opportunity to leave the requesting State and has not so within 45 days of final discharge in respect of the offence for which that person was surrendered by the requested State or has returned to the requesting State after leaving it.
2. In relation to any consent pursuant to subparagraph 1(a), of this Article the requesting State may request the production of the documents mentioned in Article 8, as well as any declaration made by the extradited person in respect of the re-extradition.

Article 7**Concurrent Requests**

If extradition is requested concurrently by a Contracting State and by one or more other States, whether for the same or for different acts or omissions, the requested State shall determine to which of those States the person is to be extradited having regard to the circumstances and, in particular, the existence of other treaties or Agreements binding on the requested State, the relative gravity of the offences and where they were committed, the respective dates of the requests, the nationality of the person and the possibility of subsequent re-extradition.

Article 8**Extradition Procedure**

1. A request for extradition shall be made in writing and shall be communicated through the diplomatic channels.
2. All documents submitted in support of a request for extradition shall be authenticated.
3. A document is authenticated for the purpose of this Agreement if:
 - a) It purports to be signed or certified by a judge, magistrate or other competent officer in or of the requesting State; and
 - b) It purports to be sealed with an official or public seal of the concerned Ministry or the competent authority of the requesting State.
4. A request of extradition shall be accompanied by:
 - a) If the person is accused of an offence – the original and two certified copies of the warrant for the arrest of the persons, a statement of each offence for which extradition is requested and a statement of the acts or omissions which are alleged against the person in respect of each offence, and such documents/information as, according to the law of the requested State, would justify his committal for trial if the offence had been committed in the territory of the requested State.
 - b) If a person has been convicted in that person's absence of an offence – a judicial or other document or a copy thereof, authorising the apprehension of the person, a statement of each offence for which extradition is requested, a statement of the acts or omissions which are alleged against the person in respect of each offence and a statement of the relevant law that ensures the right to appeal against the decision or to seek re-trial;
 - c) If the person has been convicted of an offence otherwise than in that person's absence – documents evidencing the conviction and the sentence imposed, the fact that the sentence is immediately enforceable, and the extent to which the sentence has not been carried out;
 - d) If the person has been convicted of an offence otherwise than in that person's absence but no sentence has been imposed – documents evidencing the conviction and a statement affirming that it is intended to impose a sentence;
 - e) In all cases – a statement of the relevant law creating the offence, including any provision relating to the limitation of proceedings and a statement of the penalty that can be imposed for the offence.
 - f) In all cases – a description which is as accurate as possible of the person sought together with any other information which may help to establish the person's identity and nationality; and
 - g) If applicable – a statement indicating reasons, which have prevented the person from becoming immune from prosecution or sentence by reason of lapse of time in relation to the offence for which extradition is requested, according to the law of the requesting State;
 - h) In the case of an offence committed in a third State, statement demonstrating that the third State does not claim the person sought for that offence;
 - i) In cases of conviction *in absentia* information that the person sought may appeal against the conviction or seek re-trial;
 - j) An assurance that the person sought will be afforded the protection provided for by Articles 5 and 6 of this Agreement.

Article 9**Supplementary Information**

1. If the requested State considers that the information furnished in support of the request for the extradition of a person is not sufficient, in accordance with this Agreement, that State may request that additional information be furnished within such time as it specifies.

2. If a person who is under arrest in relation to extradition is released from custody as a consequence of the failure of the requesting State to provide additional information requested pursuant to paragraph 1 of this article, the requested State shall notify the requesting State as soon as practicable.

Article 10

Provisional Arrest

1. In case of urgency a Contracting State may apply, by means of the facilities of the International Criminal Police Organisation (INTERPOL), or otherwise, for the provisional arrest of the person sought, pending the presentation of the request for extradition.

2. The application may be transmitted by post or telegraph, or by any other means affording a record in writing.

3. The requests for provisional arrest shall indicate the existence of either a detention order or a sentence against the person claimed, describe briefly the facts that amount to an offence, state when and where such offence was committed, the legal provisions that are applicable, as well as the available data concerning the identity, the nationality and the whereabouts of that person.

4. On receipt of an application for provisional arrest the requested State shall take the necessary steps to secure the arrest of the person sought and the requesting State shall promptly notified of the result of its application.

5. Provisional arrest shall be terminated if the request for extradition is not received within 18 days of the arrest; it may however be prolonged for up to 40 days of the arrest if the reasons given by the requesting State so justify.

6. The provisions of paragraph 5 above shall not prejudice re-arrest and extradition if a request is received subsequently.

Article 11

Surrender

1. The requested State shall, as soon as a decision on the request for extradition has been made, communicate that decision to the requesting State. Reasons shall be given for refusal, in whole or in part, of a request.

2. Where extradition is granted, the person shall be removed from the requested State from a point of departure in that State convenient to the Contracting States.

3. The requesting State shall remove the person from the requested State within such reasonable period as the requested State specifies and, if the person is not removed within that period, the person may be released and the requested State may refuse to extradite the person for the same offence.

4. If circumstances beyond its control prevent a Contracting State from surrendering or removing the person to be extradited it shall notify the other Contracting State. The two Contracting States shall mutually decide upon a new date of surrender, and the provisions of paragraph 3 of this article shall apply.

Article 12

Postponement and Temporary Surrender

1. The requested State may postpone the surrender of a person in order to proceed against the person, or so that the person may serve a sentence, for an offence other than an offence constituted by an act or omission for which extradition is requested. In such cases the requested State shall advise the requesting State accordingly.

2. To the extent permitted by its law, the requested State may temporarily surrender the person sought to the requesting State in accordance with conditions to be determined by mutual Agreement between the Contracting States.

Article 13

Surrender of Property

1. To the extent permitted under the law of the requested State and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all property found in the requested State that has been acquired as a result of the offence or that may be required as evidence shall, if the requesting State so requests, be surrendered if the extradition is granted.

2. The said property may, if the requesting State so requests, be surrendered to the requesting State even if the extradition agreed to cannot be carried out.

3. When the said property is liable to seizure or confiscation in the requested State, the latter may, in connection with pending criminal proceedings, temporarily retain it or hand it over on condition that it is returned.

4. Where the law of the requested State or the protection of the rights of third parties so require, any property so surrendered shall be returned to the requested State free of charge after the completion of the proceedings, if that State so requests.

Article 14**Transit**

1. Where a person is to be extradited to a Contracting State from a third State through the territory of the other Contracting State, the Contracting State to which the person is to be extradited shall request the other Contracting State to permit the transit of that person through its territory.
2. Upon receipt of such a request the requested Contracting State shall grant the request unless it is satisfied that there are reasonable grounds for refusing to do so, provided that in any case the transit of a person may be refused on any ground on which the extradition of that person might be refused under this Agreement.
3. Permission for the transit of a person shall, subject to the law of the requested Contracting State, include permission for the person to be held in custody during transit.
4. Where a person is being held in custody pursuant to paragraph 3 of this Article, the Contracting State in whose territory the person is being held may direct that the person be released if that person's transportation is not continued within a reasonable time.
5. The Contracting State to which the person is being extradited shall reimburse the other Contracting State for any expense incurred by that other Contracting State in connection with the transit.

Article 15**Expenses**

1. The requested State shall make all necessary arrangements for and meet the cost of any proceedings arising out of a request for extradition.
2. The requested State shall bear the expenses incurred in its territory in the arrest and detention of the person whose extradition is requested until the person is surrendered to a person nominated by the requesting State.
3. The requesting State shall bear the expenses incurred in conveying the person from the territory of the requested State.

Article 16**Language**

A Contracting State, which sends to the other Contracting State a document, in accordance with this Agreement that is not in the language of the other Contracting State shall provide a translation of the document into the language of the other Contracting State.

Article 17**International Obligations**

The present agreement shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from international conventions to which they are parties.

Article 18**Entry into Force and Termination**

1. The agreement shall enter into force thirty days from the date of the last communication through diplomatic channels between the parties indicating the fulfillment of the respective internal legal or constitutional requirements for its entry into force.
2. Either Contracting State may terminate this Agreement by giving notice in writing and at any time to the other through diplomatic channels, and if such notice is given the Agreement shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.
3. The provisions of this agreement shall be applicable to the extradition requests presented after its entry into force, irrespective of the date on which the facts occurred.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective governments, have signed this agreement.

Done at New Delhi, on the Eleventh day of January of the year 2007 (two thousand and seven), in Portuguese, Hindi and English, all texts being equally authentic. However, in case of divergence, the English text shall prevail.

For the Republic of India

For the Portuguese Republic

[No. T-413/09/2003]

DEVESH UTTAM, Jt. Secy. (CPV Division)